विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर।

---

12 (क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन लागू करने पर विचार कर रही है?	नहीं।
12 (ख) यदि हाँ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता
12 (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	• दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त केन्द्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित किया गया है । • दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। • प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंर्तगत 5,31,762 सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के 2,94,679 कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है। अब तक सरकारी कर्मचारियों के प्रान खातों में रू0 23,703.82 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में रू0 10,883.84 करोड़ की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, संगठित क्षेत्र के कार्मिक तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है। उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना संभव नहीं है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री, वित्त।